बिरसा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

योजना की विशेषताएं

योजना का उद्देश्य

- B-PMFBY का उद्देश्य अनपेक्षित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षतिपूर्ती से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों के लिए प्रोत्साहित करना।
- यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है।

I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

- ✓ किसानों को अधिसूचित/बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।
- ✓ यह योजना ऋणी किसानों सहित गैर–ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।
- ✓ सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/सीएससी/AIDEAPP, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।
- ✓ गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और/या लागू अनुबंध/समझौते के विवरण/अन्य दस्तावेज (बटाईदार/किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।
- ✓ किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए B-PMFBY योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर–ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/पैक्स/अधिकृत AIDEAPP/बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि/फसल बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/किरायेदारी/खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/AIDEAPP/सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें।
- ✓ कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।
- ✓ बीमा प्रस्ताव केवल राज्य स्तरीय समन्वय समिति/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

II. कवर की गई फसलें

सभी फसलें जैसे खरीफ में अगहनी धान, मदई, मकई और रबी में राई–सरसों, गेहुँ, चना, आलु है; जिसकी उपज अनुमान की मानक पद्धति उपलब्ध है।

III. योजना के तहत जोखिम कवरेज और बहिष्करण

यह योजना संबंधित राज्य की फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किए गए निर्णय के अनुसार चयनित फसल के आधार पर परिभाषित क्षेत्रों में ''क्षेत्र दृष्टिकोण'' के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आईयू), कहा जाता है। इन इकाइयों को ग्राम पंचायत या प्रमुख फसलों के लिए किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागू बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अन्य सभी फसलों के लिए यह ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है।

फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल हानि के जोखिमों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ए. किसी अधिसूचित इकाई में बोए गए क्षेत्र के 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों के प्रारंभिक चरण में किसानों द्वारा फसल बुआई/रोपाई न कर पाने की स्थिती के कारण फसल का पूर्ण नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा/किन्तु यह नियम अंतिम तिथी से 15 दिन की अवधि के बाद लागू नहीं होगा। इस बीमा कवरेज के तहत बीमित राशि का लगभग 25 प्रतिशत होगा तथा बीमा कवरेज को समाप्त कर दिया जाएगा।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकवे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.

बी. <u>कटाई पश्चात नुकसाान:</u> कवरेज केवल उन फसलों के लिए कटाई से दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उपलब्ध है, जिन्हें चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश के कारण कटाई के बाद खेत में कटने और सूखने की स्थिति में रख दिया जाता है।

फसल कटने के बाद के नुकसान और स्थानीय जोखिमों के कारण फसल क्षति से उत्पन्न होने वाले दावों के लिए, जो देशभर में चक्रवात या चक्रवाती बारिश/बेमौसमी बारिश के कारण उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप केवल सुखाने के एकमात्र उद्देश्य से 'काट कर फैलाने' की स्थिति में खेत में पकी हुई फसल को नुकसान हुआ, कटाई से अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक ही कवर किया जाता है और क्षति का आकलन व्यक्तिगत आधार पर किया जाएगा।

IV. प्रीमियम

सभी किसानों से खरीफ एवं रबी फसलों के लिए बैंक खाते के सत्यापन हेतु Token राशि के रूप में एक (01) रुपये मात्र ली जाएगी।

नोट: राज्य सरकार की अधिसूचना में परिभाषित ऋणी और गैर–ऋणी किसानों के लिए मौसमी अनुशासन लागू हो और मौसम में संबंधित फसल के लिए लागू अंतिम तारीख से पहले किसानों को आवश्यक रूप से नामांकन करना होगा।

थ्रेशोल्ड यील्ड (TY) मापदंड उपज स्तर होगी, जिस पर किसी बीमा में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

इंश्योरेंस यूनिट (IU) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी। अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है।

VI. दावा निपटान के आधार

दावा भुगतान का क्षेत्र निम्नलिखित के अधीन क्षेत्र दृष्टिकोण के अधार पर किया जाएगा:

ए. राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (CCEs) की अपेक्षित संख्या का संचालन करना है और CCE आधारित उपज का डेटा संबंधित अधिसूचित बीमा क्षेत्र के देय दावों की गणना करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।

बी. फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) प्रति इकाई क्षेत्र/प्रति फसल पर स्लाइडिंग पैमाने पर किए जाएंगे जैसा योजना की रूपरेख और परिचालन दिशानिर्देशों के तहत है।

सी. स्मार्ट सैम्पलिंग तकनीक (एसएसटी) जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान, सीसीई की अखंडता को जीपीआरएस सक्षम मोबाइल स्मार्ट फोन का उपयोग कर सत्यापित करने और जीओआई ऐप द्वारा नुकसान का आकलन और रीयल टाइम डेटा एनसीआईपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए।

डी. फसल क्षति के आकलन के लिए सीसीई पर निर्भरता में कमी और प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता।

ई. थ्रेसहोल्ड यील्ड (TY) बेंचमार्क यील्ड लेवल होगा, जिसपर बीमाकृत यूनिट के सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी, अधिसूचित फसल का थ्रेसहोल्ड होगा, इंश्योरेंस यूनिट (IU) में अधिसूचित फसल की औसत यील्ड पिछले सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होंगी अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है।

महत्वपूर्ण नोट:

1. किसान इस योजना के तहत अपनी निकटतम बैंक शाखाओं, निकटतम सीएससी केंद्र या AIDE Application द्वारा अधिकृत बिमा मध्यस्थ के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।
2. सभी नामांकनों को आवश्यक रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पूरा किया जाता है एवं बैंक या मध्यस्थ द्वारा प्रीमियम राशि बिमा कंपनी में परिभाषित अंतिम तिथि के भीतर जमा करने की आवश्यकता है।
3. इस योजना के लिए सेवाकर छूट दी गई है।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकवे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई–400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. यूआईएन: : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18.